



2026:AHC:18273

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 43091/2025

मकसूद बेग

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राजा साहनी, संदीप कुमार प्रजापति, तरुण केदार नाथ सिंह,
उमेश सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., पुष्पेंद्र सिंह निरंजन, सौरभ श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री याज्ञवल्क पांडेय को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत अभियुक्त-आवेदक मकसूद बेग की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 516/2025, धारा 115 (2), 324 (6), 191 (2), 351 (2), 308 (2), 310 (2) बी.एन.एस. एवं धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन में पंजीकृत प्रकरण में जमानत पर अवमुक्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मुकदमा अपराध संख्या में झूठा फँसाया गया है और वह दिनांक 30.08.2025 से जेल में निरुद्ध है। आवेदक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) में नामित नहीं था। आवेदक को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त माजिद खान को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2026 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 44397/2025 में पहले ही जमानत पर अवमुक्त किया जा चुका है। तीन मामलों के आपराधिक इतिहास को पूरक शपथ पत्र में स्पष्ट किया गया है और जमानत पर अवमुक्त होने की स्थिति में उसके न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले उपरोक्त सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को दृष्टिगत रखते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत हेतु यह एक उपयुक्त मामला प्रतीत होता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **मकसूद बेग** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाए –

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्ष्यों पर कोई दबाव या भय उत्पन्न नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि उसे संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
1. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

27 जनवरी, 2026

दीपक/

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।